सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 18.08.2024

अपराध नियंत्रण की दिशा में कार्य करते हुए इटावा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध पिस्टल एवं 02 जिन्दा कारतूस किये गये बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन में एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में **थाना भरथना पुलिस** द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे दिनांक 17/18.08.2024 की रात्रि को थाना भरथना पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि 01 व्यक्ति स्कूटी पर मल्हौसी पुल के पास खड़ा है जिसके पास अवैध असलहा है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना भरथना पुलिस टीम द्वारा मल्हौसी पुल के पास 01 व्यक्ति योगेश कुमार पुत्र भूरे सिंह को पकड़ लिया गया।

पकड़े गये व्यक्ति से पुलिस टीम द्वारा नाम पता पूछते हुये तलाशी ली गयी तो **योगेश उपरोक्त के कब्जे से 01 पिस्टल .32 बोर व 02 जिन्दा कारतूस .32 बोर** बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के संबंध मे पुलिस टीम द्वारा प्रपत्र मांगे जाने पर दिखाने मे असमर्थ रहा। जिस पर कार्यवाही करते हुये थाना भरथना पुलिस टीम द्वारा **अभियुक्त योगेश कुमार पुत्र भूरे सिंह को मल्हौसी पुल के पास से समय 01:35 बजे 01 पिस्टल .32 बोर व 02 जिन्दा कारतूस .32 बोर** सहित गिरफ्तार किया गया।

बरामद स्कूटी को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध मे थाना भरथना पर मु0अ0सं0 219/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. योगेश कुमार पुत्र भूरे सिंह निवासी नगला इजारे थाना अछल्दा जनपद औरैया **उम्र 28 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 219/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भरथना जनपद इटावा।

बरामदगीः-

1. **01 अवैध पिस्टल .32 बोर**
2. **02 जिन्दा कारतूस .32 बोर**
3. **01 स्कूटी UP 75 AQ 4088 (एमवी एक्ट की धारा 207 में सीज)**

पुलिस टीम- निरी0 श्री देवेन्द्र सिंह प्रभारी थाना भरथना, उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 इन्द्रीश कुमार, का0 देवेन्द्र सिंह मय टीम।